सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
नव सीमा शुल्क भवन, पणंबूर, मंगलूर–५७५०१०
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
NEW CUSTOMS HOUSE, PANAMBUR, MANGALURU – 575 010
Telephone No.: 0824-2408164, **Website**: bangalorecustoms.gov.in, **Email**: commr-cusmnglr@nic.in

Computer No.: 1669196 Dated: As e-signed

सार्वजनिक सूचना सं. 07/2026
PUBLIC NOTICE NO. 07/2026

विषय: आयात एवं निर्यात में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का स्वचालन – ऑटो गुड्स रजिस्ट्रेशन, ऑटो आउट ऑफ चार्ज (OOC) तथा ऑटो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (LEO) का कार्यान्वयन – संबंधी।

Subject: Automation of Customs Processes in Import and Export – Implementation of Auto Goods Registration, Auto Out of Charge (OOC), and Auto Let Export Order (LEO) – reg.

*****

मंगलुरु सीमा शुल्क आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी आयातकों, निर्यातकों, कस्टम ब्रोकर्स तथा अन्य हितधारकों का ध्यान Central Board of Indirect Taxes and Customs द्वारा जारी परिपत्र सं. 06/2026-सीमा शुल्क दिनांक 01.02.2026 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Attention of all Importers, Exporters, Customs Brokers and other Stakeholders under the jurisdiction of Mangaluru Customs Commissionerate is invited to Circular No. 06/2026-Customs dated 01.02.2026 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs.

2. सरकार की व्यापार सुगमता एवं Ease of Doing Business नीति को आगे बढ़ाते हुए, तथा भौतिक संपर्क को न्यूनतम करते हुए डिजिटल माध्यम से अधिक तीव्र एवं पारदर्शी निकासी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बोर्ड द्वारा आयात एवं निर्यात लेन-देन हेतु निम्नलिखित स्वचालित प्रक्रियाएँ प्रारंभ की गई हैं।

In furtherance of the Government's policy on trade facilitation and Ease of Doing Business, and with a view to minimize physical interface and ensure faster clearance of goods through digital enablement, the Board has introduced the following automated processes for import and export transactions.

3. **आयात हेतु सुविधा उपाय: ऑटो गुड्स रजिस्ट्रेशन एवं ऑटो आउट ऑफ चार्ज (OOC)**

3.1. ऑटो गुड्स रजिस्ट्रेशन: आयात निकासी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से, वस्तुओं के आगमन पर ऑटो गुड्स रजिस्ट्रेशन की सुविधा सक्षम की जा रही है, जो वर्तमान मैनुअल/वेब-आधारित पंजीकरण प्रक्रिया का स्थान लेगी। यह सुविधा निम्नलिखित आयातक श्रेणियों के लिए उपलब्ध होगी:

- AEO T2 एवं T3 इकाइयाँ: वस्तुओं का पंजीकरण प्रणाली द्वारा स्वतः किया जाएगा।
- पात्र विनिर्माता आयातक (Eligible Manufacturer Importers): यह सुविधा अधिसूचना संख्या 12/2026-Customs (N.T.) दिनांक 01.02.2026 द्वारा अधिसूचित स्वीकृत "पात्र विनिर्माता आयातकों" को भी प्रदान की जाएगी।
- दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला वाले आयातक: जिन आयातकों की स्थापित और दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला है, उन्हें भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
- DPD सुविधा उपयोगकर्ता: जो आयातक डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (DPD) सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

3.2. ऑटो आउट ऑफ चार्ज (OOC): बिना मैनुअल हस्तक्षेप के OOC की सुविधा सभी आयातकों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन विस्तारित की जा रही है:

- लागू सीमा शुल्क/सेस, यदि कोई हो, का विधिवत भुगतान किया गया हो; तथा
- प्रणाली में कोई लंबित अनुपालन आवश्यकता या अलर्ट लंबित न हो।

यह उपाय AEO T2 एवं T3 इकाइयों को पहले से उपलब्ध बिना मैनुअल हस्तक्षेप वाली OOC सुविधा का पूरक है।

Facilitation measures for Import: Auto Goods Registration & Auto Out of Charge (OOC)

3.1. **Auto Goods Registration**: To streamline and optimize the import clearance process, **Auto Goods Registration** will be enabled upon arrival of goods, replacing the existing manual/ web-based registration process, for the following categories of importers:

- **AEO T2 & T3 Entities:** Goods registration will be carried out automatically by the system.
- **Eligible Manufacturer Importers:** This facility will be further extended to the approved "Eligible Manufacturer Importers' as notified vide Notification No.12/2026-Customs (N.T.) dated 01.02.2026.
- **Longstanding Supply Chain:** Importers having longstanding supply chain will also be provided this facility.
- **DPD Facility Users:** Importers availing Direct Port Delivery (DPD) facility.

3.2. **Auto Out of Charge:** The facility of OOC without manual intervention is being extended **to all the importers**, subject to the following conditions:

- Applicable duty/ cess, if any, has been duly paid; and
- No outstanding compliance requirement or alert exists in the system.

This measure complements the existing OOC without manual intervention facility already available to AEO T2 and T3 entities.

4. **निर्यात हेतु उपाय: ऑटो गुड्स रजिस्ट्रेशन एवं ऑटो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (LEO)**

निर्यात निकासी में भौतिक संपर्क से उत्पन्न विलंब को समाप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित डिजिटल उपाय प्रारंभ किए जा रहे हैं:

4.1. ई-सील्ड कार्गो हेतु ऑनलाइन गुड्स रजिस्ट्रेशन: सभी निर्यातकों के लिए गुड्स रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सुविधा सक्षम की जा रही है, जिससे सीमा शुल्क क्षेत्र में वस्तुओं के आगमन के बाद पंजीकरण हेतु अधिकारियों से भौतिक रूप से संपर्क करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

इस संबंध में, ई-सील आधारित ऑटो गुड्स रजिस्ट्रेशन हेतु एक पायलट परियोजना वर्तमान में न्हावा शेवा (INNSA1) में लागू की जा रही है। यूनिवर्सल ई-सील स्कैनर की स्थापना एवं संचालन के उपरांत यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से अन्य बंदरगाहों तक विस्तारित की जाएगी। न्यू मैंगलोर पोर्ट पर यूनिवर्सल ई-सील रीडर की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और यह शीघ्र ही क्रियाशील हो जाएगी।

4.2. ऑटो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (LEO): जो वस्तुएँ जोखिम मूल्यांकन (risk treatment) के आधार पर पंजीकृत होंगी, उन्हें निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने पर सुगमित शिपिंग बिलों (SBs) के लिए प्रणाली द्वारा स्वतः LEO प्रदान किया जाएगा:

- जांच/आकलन हेतु चयनित न हों;
- किसी भी PGA संबंधित NOC की आवश्यकता न हो;
- यदि लागू हो, तो शिपिंग बिल से संबंधित शुल्क/सेस का भुगतान किया गया हो।

Measures for Export: Auto Goods Registration & Auto Let Export Order (LEO)

With the objective of eliminating delays arising from physical interface in export clearances, the following digital measures are being introduced:

4.1. **Online Goods Registration for e-sealed cargo:** An online facility for Goods Registration is being enabled for all exporters, thereby dispensing with the requirement to approach Customs officers physically for registration of export goods after arrival in the customs area.

In this regard, a pilot project for e-seal based Auto Goods Registration is presently being implemented at Nhava Sheva (INNSA1) and the facility shall be extended to other ports in a phased manner upon installation and operationalization of universal e-seal scanners. The process of implementation of universal e-seal readers has been initiated at New Mangalore Port and will be soon operationalised.

4.2. **Auto Let Export Order (LEO):** Once the goods are registered on the basis of risk treatment, system-generated Auto LEO shall be granted to facilitated Shipping Bills (SBs) fulfilling the following criteria:

- Not selected for examination/ assessment;
- No requirement of any PGA related NOC;
- Duty/ cess related to Shipping bill is paid, if applicable.

5. ऑटो OOC और ऑटो LEO दोनों ही जोखिम-आधारित मूल्यांकन पर प्रदान किए जाएंगे। तथापि, खुफिया सूचना के आधार पर अधिकारी सीमा शुल्क प्रणाली में "HOLD" लगाकर इसे निरस्त (override) कर सकते हैं।

Both Auto OOC and Auto LEO will be granted on risk based evaluation, however, officers can invoke a "HOLD" in Customs systems to override it based on intelligence.

6. मंगलुरु कस्टम्स आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क अभिकर्ताओं, कस्टोडियनों तथा अन्य हितधारकों को उपर्युक्त विषय की जानकारी लेने तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।

All Importers, Exporters, Customs Brokers, Custodians, and other stakeholders under the jurisdiction of Mangaluru Customs Commissionerate are advised to take note of the above and ensure compliance.

7. इस सार्वजनिक सूचना के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे आधिकारिक ई-मेल csd.mglr-customs@gov.in के माध्यम से सहायक/उप आयुक्त (डॉक्स) के संज्ञान में लाया जा सकता है।

Difficulties, if any, in implementation of this Public Notice may be brought to the notice of the Assistant/ Deputy Commissioner (Docks) through official email csd.mglr-customs@gov.in.

Digitally signed by
P VINITHA SEKHAR
Date: 27-02-2026
15:02:14

(पी. विनीता सेखर / P. VINITHA SEKHAR)
सीमा शुल्क आयुक्त / Commissioner of Customs
मंगलुरु / Mangaluru

Copy to:

1. Office of the Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, Bengaluru, for information.
2. EDI Section for uploading on the Website.
3. CHA Association, Mangaluru
4. Notice Board, NCH, Mangaluru.